

राजस्थान-सरकार

कृषि आयुक्तालय पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर

क्रमांक:-प-5(3)आ.कृ. / एनएमओओपी / प्रदर्शन / 2017-18 / 3762-3195 दिनांक:- 3-7-17

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त), .....
2. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद समस्त .....
3. परियोजना निदेशक(आत्मा) समस्त जिला .....
4. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) समस्त.....
5. परियोजना निदेशक सी.ए.डी. कोटा
6. उपनिदेशक कृषि इ.गा.न.प. बीकानेर

विषय:- शुद्धि पत्र।

प्रसंग:- कृषि आयुक्तालय के समसंख्यक पत्रांक 2568-2738 दिनांक 12.05.2017 के क्रम में।

एन0एम0ओ0पी0 के तहत आयोजित तिल, अरण्डी एवं अलसी के फसल प्रदर्शनों में फसल कैफेटेरिया के तहत निर्धारित की गयी राशि की सीमा में रहते हुए किसी भी कम्पोनेन्ट में खर्चा कम रहने या नहीं हो पाने की स्थिति में, यदि बचत रहती है तो उसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर पौध संरक्षण रसायनों का प्रयोग कराने हेतु किया जा सकता है।



(एम0 एल0 सालोदिया)

अतिरिक्त निदेशक, कृषि (एनएमओओपी)

क्रमांक:-प-5(3)आ.कृ. / एनएमओओपी / प्रदर्शन / 2017-18 / 3762-3195 दिनांक:- 3-7-17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अतिरिक्त निदेशक कृषि / विस्तार / आदान / अनु0 / मुख्यालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक कृषि, (योजना / पौध संरक्षण / ज.उ.प्र. / गुण नियन्त्रण / ए.टी.सी. / एम एण्ड ई / रसायन / आदान) को एरिया नोडल आफिसर के रूप में पर्यवेक्षण हेतु।
3. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्डजयपुर / भरतपुर / गंगानगर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर / भीलवाडा / सीकर / जालौर / बीकानेर।
4. उप निदेशक कृषि, (विस्तार / अभियांत्रिकी / रसायन / सूचना) , मुख्यालय जयपुर।



अतिरिक्त निदेशक, कृषि (एनएमओओपी)